मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 15.10.2018 को आहुत उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

....

उपस्थिति–

बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची संलग्न है **(पताका–क)**।

प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा गवर्निंग बॉडी के उपस्थित सदस्यों/ अधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कैम्पा की गतिविधियों के विषय में अवगत कराया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निर्धारित एजेंडा बिन्दु प्रस्तुत किये गये, जिन पर विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु–1 :– उ0प्र0 कैम्पा गवर्निंग बॉडी की दिनॉक 17.09.2011 को हुयी द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।

उत्तर प्रदेश कैम्पा गवर्निंग बॉडी द्वारा द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु–2 :– प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (CAF Act 2016); प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 (CAF Rules, 2018); यथापेक्षित लेखाकरण प्रक्रिया के प्रारूप सम्बन्धी अधिसूचनाओं एवं तत्सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत अन्य अधिसूचनाओं/निर्देशों से गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया जाना।

(अ) भारत सरकार द्वारा दिनॉक 03.08.2016 को अधिसूचित प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (CAF Act 2016) एवं दिनॉक 10.08.2018 को अधिसूचित प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 (CAF Rules 2018) तथा दिनॉक 17.08. 2018 को यथापेक्षित लेखाकरण प्रक्रिया प्रारूप (ड्राफ्ट) सम्बन्धी अधिसूचना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कैम्पा गवर्निंग बॉडी अवगत हुयी।

(ब) CAF Act 2016 की धारा–4 एवं धारा–7 के अनुपालन में राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु तैयार की गयी उ0प्र0 राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियमावली, 2018 के प्रारूप के प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है, जो महालेखाकार, उ0प्र0 को सन्दर्भित है।

(कार्यवाही : वन विभाग/वित्त विभाग/महालेखाकार)

(स) उक्त नियमावली के प्रख्यापन में प्रक्रियात्मक सम्भावित समय के दृष्टिगत राष्ट्रीय निधि, भारत सरकार से उत्तर प्रदेश राज्य के पक्ष में जमा धनराशि को उ0प्र0 राज्य निधि में अन्तरित करने एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अधीन वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के सापेक्ष उपयोक्ता अभिकरणों द्वारा धनराशि जमा

Governing Body
Third Meeting

कराये जाने के लिये नवीन बजट शीर्ष खुलवाने हेतु वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित प्रस्तावों के सम्बन्ध में गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया गया।

(कार्यवाही : वित्त विभाग)

एजेण्डा बिन्दु–3 :– उ0प्र0 कैम्पा की विभिन्न वार्षिक प्रचालन योजनाओं तथा प्रशासनिक व्यय मद के सापेक्ष किये गये कार्यों की प्रगति से गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया जाना।

उ0प्र0 कैम्पा की विभिन्न वर्षों की वार्षिक प्रचालन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न वार्षिक प्रचालन योजनाओं तथा प्रशासनिक व्यय मद के सापेक्ष किये गये कार्यों की प्रगति से गवर्निंग बॉडी अवगत हुयी।

वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के सापेक्ष एड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार, नई दिल्ली में उ0प्र0 राज्य के पक्ष में दिनॉक 29.09.2018 तक किये गये मिलान के अनुसार धनराशि लगभग रू0 1680 करोड़ जमा है, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 1654.50 करोड़ से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाएं भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। जमा धनराशि के अद्यावधिक मिलान की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

एजेण्डा बिन्दु–4 :– उत्तर प्रदेश कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी द्वारा वर्ष 2018–19 की अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना तथा तत्सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि से गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया जाना।

उ0प्र0 कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी की 10वीं बैठक दिनॉक 06.08.2018 में वर्ष 2018–19 हेतु धनराशि रू0 15200.00 लाख की अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना तथा तत्सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 15060.00 लाख से उत्तर प्रदेश कैम्पा गवर्निंग बॉडी अवगत हुयी।

एजेण्डा बिन्दु–5 :– उत्तर प्रदेश कैम्पा के अन्तर्गत प्रदेश में ई–ग्रीन वाच पोर्टल लागू होने की स्थिति एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपणों के पॉलीगॉन के अपलोड होने की वर्तमान स्थिति से गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया जाना।

उत्तर प्रदेश कैम्पा के अन्तर्गत प्रदेश में ई–ग्रीन वाच पोर्टल लागू होने की स्थिति एवं क्षतिपूरक/गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपणों के पॉलीगॉन के अपलोड होने की वर्तमान स्थिति से गवर्निंग बॉडी को अवगत हुयी।

एजेण्डा बिन्दु–6 :– उत्तर प्रदेश कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखों तथा वार्षिक लेखों का राज्य महालेखाकार द्वारा किये गये आडिट से गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया जाना।

उत्तर प्रदेश कैम्पा के वार्षिक लेखों को तैयार किये जाने/स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किये जाने तथा वार्षिक लेखों का राज्य महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन समीक्षा (Performance Audit on Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) एवं एकाउण्ट आडिट किये जाने की कार्यवाही से उ0प्र0 कैम्पा गवर्निंग बॉडी अवगत हुयी।

एजेण्डा बिन्दु–7 :– प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (CAF Act 2016); प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 (CAF Rules, 2018) के अधीन उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) के संचालन एवं प्राधिकरण की अभिचालन समिति (Steering Committee) तथा कार्यपालक समिति (Executive Committee) को सहयोग प्रदान करने हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया जाना।

CAF Act, 2016 में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) के संचालन एवं प्राधिकरण की अभिचालन समिति (Steering Committee) तथा कार्यपालक समिति (Executive Committee) को सहयोग प्रदान करने हेतु निम्न पदों के सृजन के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव का उ0प्र0 कैम्पा गवर्निंग बॉडी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया –

CAF Act, 2016 की सुसंगत धारा	सृजन हेतु प्रस्तावित पद का नाम	पद श्रेणी (यदि कोई हो तो)	पदों की संख्या
धारा–10 / उपधारा–7	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक के पद से न्यून स्तर का न हो	01
धारा–11 / उपधारा–4	संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	वन संरक्षक के पद से न्यून स्तर का न हो	01
	वित्तीय परामर्शदाता / मुख्य लेखाधिकारी	उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव स्तर के पद से न्यून स्तर का न हो	01
	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप वन संरक्षक के पद से न्यून स्तर का न हो	01
धारा–11 / उपधारा–5	संयुक्त निदेशक, सांख्यिकीय		01
	समाजशास्त्री		01
	अपर सांख्यिकीय अधिकारी		02
	सहायक लेखाधिकारी		01
	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी		02
	उप वन राजिक		02
	लेखाकार		01
	वरिष्ठ सहायक		02
	कनिष्ठ सहायक		03
	आशुलिपिक		03

CAF Rules, 2018 के नियम–9 एवं 10 के अनुसार उक्त पदों पर अधिकारियों / कार्मिकों को Deputation के आधार पर रखे जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवश्यकतानुसार एम.आई.एस. अधिकारी, लेखा सहायक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर आपरेटर, कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल (वाहन चालक, डिस्पैचर, सफाई कर्मी, रात्रि चौकीदार, माली, अर्दली आदि) कार्मिकों को रखे जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

CAF Act, 2016 की धारा–10 एवं 11 के अन्तर्गत पदों के सृजन के उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन उ0प्र0 कैम्पा गवर्निंग बॉडी द्वारा प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष/वित्त विभाग/कार्मिक विभाग)

अन्य बिन्दु– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कैम्पा फण्ड नियमानुसार व्यय किया जा रहा है।
2. एक सुव्यवस्थित योजना के अनुसार कैम्पा धनराशि से वृक्षारोपण के कार्य पर अधिक से अधिक बल दिया जाये।

(कार्यवाही : प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव एवं
सदस्य सचिव, गवर्निंग बॉडी, उ0प्र0 कैम्पा।

संख्या–3378(1)/14–2–2018 एवं दिनांक। 30.10.2018

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, एवं सदस्य (उ0प्र0 कैम्पा गवर्निंग बाडी) पर्यावरण विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम विकास विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पंचायतीराज विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।
7. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उ0प्र0 लखनऊ
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

Data D. SO Minuts

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 15.10.2018 को अपरान्ह 6.30 बजे "प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम (वन विभाग), की गवर्निंग बाडी" की बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम / पद नाम	हस्ताक्षर
1		
2	दारासिंह चौहान	
3	राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास	
4	दीपक त्रिवेदी अपर मुख्य सचिव, नियोजन	
5	सुरेश चन्द्रा प्रमुख सचिव (राजस्व)	
6	अनिता भटनागर जैन अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा)	
7	डा0 हरिश्चन्द्र, विशेष कार्याधिकारी (Spl. Secy.) ग्राम विकास	
8	आनन्द कुमार सिंह, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा	15.x.18
9	राजेन्द्र कुमार तिवारी अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज	
10	अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव, कृषि	15/x
11	अलकनन्दा दयाल सचिव, वित्त	

12	नितिन गोकर्ण प्र. स. लो. नि. वि. / अवास	नितिन
13	टी. वेंकटेश प्र.स. (सिंचाई)	[signature]
14	अजय कुमार सिंह, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष - सिंचाई विभाग	[signature]
15	सन्ध्या तिवारी सचिव माध्यमिक शिक्षा	[signature]
16	विनय कुमार शर्मा, प्रमुख अभि०, सिंचाई	[signature]
17	अरुण कुमार चौधरी मुख्य सामान्य अभियंता, NER	[signature]
18	गौरव गोविल अपर मंडल रेल प्रबं.-इं/लखनऊ	[signature]
19	सर्वेन्द्र विक्रम सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा	[signature] 15.10.18
20	V. K. Agarwal Dy Chief Engg M. C. Rly Allahabad	[signature] 11/...
21		
22		
23		
24		
25		